**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 931**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**महाराष्ट्र में दवा-प्रतिरोधक क्षय रोग के मामले**

**931.** **श्री राजकुमार धूत :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में दवा-प्रतिरोधक क्षय रोग के विलंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्घि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत हुए क्षय रोग के ऐसे मामलों का वर्ष-वार, राज्य-वार और केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में दवा-प्रतिरोधक क्षय रोग के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौन से उपचारी उपाय करने का प्रस्ताव है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) और (ख): जी, नहीं। महाराष्‍ट्र और देश के अन्‍य भागों में मल्‍टी ड्रग रेजिस्‍टेंट टीबी मामलों के अनुमानित अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। उक्‍त अनुपात नए टीबी मामलों में 3 प्रतिशत और टीबी के पुन: उपचार किए गए मामलों में 11-19 प्रतिशत के बीच है। देश में विगत तीन वर्षों के दौरान राज्‍यवार रिपोर्ट किए गए एमडीआर-टीबी की संख्‍या अनुलग्‍नक में है।

वर्ष 2007और 2013 के बीच राष्‍ट्रीय संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत एमडीआर टीबी के लिए अधिक नैदानिक सुविधाओं की उपलब्‍धता तथा दवा प्रतिरोधक तपेदिक कार्यक्रम संबंधी प्रबंधन के माध्‍यम से पूरे देश को शामिल कर लेने के कारण एमडीआर-टीबी के मामलों की पहचान में वृद्धि हो रही है।

(ग): भारत के सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों मे संशोधित राष्‍ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम में केन्‍द्र सरकार, राज्‍य सरकारों के सहयोग से दवा-प्रतिरोधक टीबी कार्यक्रम प्रबंधन हेतु सेवाएं प्रदान कर रहा है।

पीएमडीटी कार्यान्‍वयन के प्रमुख घटक निम्‍नानुसार है:

* गुणवत्‍ता आश्‍वासित कल्‍चर और औषधि के संवेदनशीलता परीक्षण के माध्‍यम से सही समय पर निदान।
* पर्यवेक्षण के तहत सेकेंड लाइन औषधियों का उपयोग करते हुए उपयुक्‍त उपचार।
* गुणवत्‍ता आश्‍वासित टीबी प्रतिरोधी औषधियों की निरंतर आपूर्ति, और
* मानकीकृत रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली।

आरएनटीसीपी के तहत औषधिरोधी टीबी का निदान 62 कल्‍चर एंड ड्रग एसोप्टिबिलिटी टेस्टिंग लेब्रोरेटरी में गुणवत्‍ता आश्‍वासित औषधि ससेप्टिबिलीटी-परीक्षण के माध्‍यम से किया जाता है, जिनमें से 50 लैब लाइन प्रोब एसे नामक रैपिड मोलकुलर टेस्‍ट (सुविधा)से सज्जित हैं। कार्टिज्‍ड बेस्‍ड न्‍यूक्लिक एसिड एम्‍प्‍लीफिकेशन (सीबीएनएएटी) टेस्‍ट मशीनों को टीबी मामलों में रिफाम्‍पसिन प्रतिरोधी का शीघ्र पता लगाने हेतु 121 स्‍थलों पर स्‍थापित किया गया है।

आरएनटीसीपी के तहत औषधि संवेदनशील और औषधि प्रतिरोधी टीबी के लिए उपचार और निदान दोनों नि:शुल्‍क हैं।

\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **आरएनटीसीपी के तहत पंजीकृत दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों की संख्या (राज्य-केन्द्र शासित प्रदेश-वार)** | | | |
| **राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों** | **2012** | **2013** | **2014** |
| अंडमान एवं निकोबार | 8 | 21 | 39 |
| आंध्र प्रदेश | 1228 | 1625 | 803 |
| अरुणाचल प्रदेश | 122 | 172 | 206 |
| असम | 179 | 388 | 360 |
| बिहार | 118 | 527 | 970 |
| चंडीगढ़ | 62 | 43 | 45 |
| छत्तीसगढ़ | 34 | 125 | 141 |
| दिल्ली | 1653 | 1278 | 1572 |
| गोवा | 33 | 42 | 36 |
| गुजरात | 1710 | 1660 | 1971 |
| हरियाणा | 126 | 505 | 561 |
| हिमाचल प्रदेश | 96 | 248 | 236 |
| जम्मू और कश्मीर | 73 | 130 | 97 |
| झारखंड | 136 | 257 | 225 |
| कर्नाटक | 90 | 717 | 733 |
| केरल | 299 | 220 | 198 |
| मध्य प्रदेश | 347 | 814 | 1116 |
| महाराष्ट्र | 3357 | 4687 | 5072 |
| मणिपुर | 26 | 56 | 38 |
| मेघालय | 108 | 134 | 204 |
| मिजोरम | 49 | 29 | 47 |
| नगालैंड | 40 | 76 | 75 |
| उड़ीसा | 142 | 203 | 244 |
| पुडुचेरी | 26 | 18 | 28 |
| पंजाब | 288 | 465 | 437 |
| राजस्थान | 2040 | 1805 | 1663 |
| सिक्किम | 99 | 226 | 242 |
| तमिलनाडु | 679 | 1287 | 1136 |
| तेलंगाना | - | - | 686 |
| त्रिपुरा | 17 | 10 | 14 |
| उत्तर प्रदेश | 110 | 1859 | 2798 |
| उत्तराखंड | 87 | 177 | 281 |
| पश्चिम बंगाल | 735 | 1289 | 1799 |
| **कुल योग** | **14,117** | **21,093** | **24,073** |

लक्षद्वीप के आंकड़े केरल के आंकड़ों में तथा दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के आंकड़े गुजरात के आंकड़ों में शामिल हैं।